खण्डवा

की निजीकृत जलप्रदाय परियोजना

(परियोजना के प्रभावों का एक अध्ययन)

गौरव द्विवेदी / रेहमत
मंथन अध्ययन केन्द्र
बड़वानी (मध्यप्रदेश) - 451551
manthan.kendra@gmail.com
www.manthan-india.org

प्रस्तावना

१९९० के दशक की शुरूआत से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के प्रयोग शुरू किए गए थे। बिजली के क्षेत्र में ये बदलाव प्रारंभ से ही लागू हो गए थे लेकिन जल क्षेत्र में ये पिछले कुछ वर्षों में प्रारंभ हुए है।

इन वर्षों में निजीकरण की प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। पहला प्रयास सीधे निजीकरण का था, जिसकी दुनियाभर में कड़ी राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हुई। इसी निजीकरण को अब नए नाम जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) से प्रस्तुत किया गया है। यह सीधे निजीकरण से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाने, उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी के बोझ और जोखिमों से परे करने की एक तिकड़म है। इस तिकड़म का खामियाजा निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है और शायद पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा।

सीधे निजीकरण में निजी कंपनियाँ बुनियादी ढाँच खड़ा करने के लिए कम से कम धन तो निवेश करती है। लेकिन, जन–निजी भागीदारी में वे जनता के धन से ही खुद मुनाफा कमाती है। खण्डवा की नर्मदा परियोजना के लिए लगने वाला ९० प्रतिशत धन इस देश की जनता का है लेकिन मात्र लागत का एक छोटा हिस्सा निवेश करने वाली कंपनी को सारे मुनाफे की मालिक बना दिया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यत: खण्डवा की नर्मदा जल आवर्धन योजना के प्रभावों पर केंद्रित है। लेकिन इसके निष्कर्ष अन्य स्थानों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस अध्ययन के दौरान हमें खण्डवा के गणमान्य नागरिकों, जलप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नागरिक समूहों और आम नागरिकों से काफी सहयोग मिला। उनके साथ हुई लम्बी चर्चाओं तथा उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारियों के कारण हमारे लिए खण्डवा शहर और उसकी जलप्रदाय व्यवस्था को समझना संभव हो पाया। इस अध्ययन में सहयोग करने वाले सभी महानुभावों और अर्घ्यम, बैंगलूरू के हम हृदय से आभारी हैं।

— गौरव द्विवेदी/रेहमत

सीमित वितरण हेतु प्रकाशित इस पुस्तिका की सामग्री पर कोई कॉपीराईट नहीं है। जनहित में इसका उपयोग किया जा सकता हैं। स्रोत का उल्लेख करने से प्रसन्नता होगी।

सहयोग — ५ रूपए मात्र

खण्डवा की नर्मदा पेयजल परियोजना

यू॰आई॰डी॰एस॰एस॰एम॰टी॰ के प्रभावों का मूल्यांकन

प्रदेश और देश के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पाईपलाईन से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था है। ये पाईपलाईनें करीब ४०–५० वर्ष से लेकर कही–कहीं ७०–८० वर्ष तक पुरानी है। हाँलांकि बढ़ती जरूरत के हिसाब से समय–समय पर इस व्यवस्था का विस्तार एवं इसमें सुधार होता रहता है लेकिन अधिकांश इलाकों में पुरानी पाईप लाईनें ही होने की जानकारी दी जाती है।

इन पुरानी पाईप लाईनों से जल रिसाव बड़े पैमाने पर होता है। कई स्थानों पर ये लाईनें जल–मल निकास (drainage) लाईनों के साथ–साथ होने के कारण इससे पेयजल प्रदूषित होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ खड़ी होती है। इसके साथ ही जलप्रदाय संबंधी पुरानी मशीनरी की क्षमता (efficiency) में कमी है। इन मोटे कारणों से अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पूरे पेयजल तंत्र के पुनर्वास की जरूरत महसूस की जा रही है।

खण्डवा नगर दक्षिण–पश्चिम मध्यप्रदेश में स्थित एक जिला मुख्यालय है। अंग्रेज १८६० में निमाड़ जिला मुख्यालय को मण्डलेश्वर से स्थानांतरित कर यहाँ ले आए थे। १७ मई १८६७ को इसका गठन नगरपालिका के रूप में किया गया जिसका दर्जा बढ़ा कर १ नवंबर १९९१ को नगरनिगम बना दिया गया है।

खण्डवा नगर जल स्वावलंबी रहा है। जिले के गजेटियर में इसके प्रमुख जलस्रोतों के रूप में मोघट (नागचून) तालाब, बरूड़ नाला, रामेश्वर कुआँ, भैरों टेंक आदि का उल्लेख है। स्थानीय नागरिक भीम कुण्ड, सूरज कुण्ड, रामेश्वर कुण्ड और पदम कुण्ड की गिनती भी शहर के प्रमुख जलस्रोतों के रूप में करते थे। इसके अलावा नगर में सैकड़ों कुएँ मौजूद थे। तत्कालीन निमाड़ जिले के

खण्डवा के विभन्न जलस्रोत

मौसम (mld)	सुक्ता बाँध (mld)	नागचून (mld)	बोरवेल (mld)	योग (mld)/(lpcd)
वर्षा	11.25 (57.69%)	1.80 (9.23%)	6.30 (32.31%)	19.50 (97.50)
शीत	11.25 (57.69%)	1.80 (9.23%)	6.30 (32.31%)	19.50 (97.50)
ग्रीष्म	9.00 (71.43%)	0.00 (71.43%)	3.60 (28.57%)	12.60 (63.00)
औसत जलप्रदाय	**10.5** (61.05%)	**1.20** (6.98%)	**5.4** (31.40%)	**17.20** (86.00)

स्रोत–*खण्डवा जल आवर्धन परियोजना की विस्तृत परियोजना रपट, पृष्ठ - 17*

डिप्टी कमिश्नर ने १९३० के दशक में सरकार को भेजी अपनी रपट में कुशल प्रबंधन के कारण खण्डवा नगरपालिका की प्रशंसा की थी। लेकिन आज यही नगरनिकाय अपने नागरिकों को पानी पिलाने में अक्षम साबित हो रहा है।

खण्डवा और उसके जलस्रोत

नगरनिगम के आँकड़ों के अनुसार शहर की वर्ष २०१० की प्रस्तावित जनसंख्या २,१५,३७३ के लिए १३५ एलपीसीडी के अनुसार २९ एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी की जरूरत बताई गई थी, जबकि नगरनिगम वर्तमान में १७.२० एमएलडी[1] ही जलप्रदाय कर पा रहा है इस प्रकार ११.८० एमएलडी की कमी है। इस समस्या के हल हेतु नगरनिगम ने शहर से ५२ किमी दूर छोटी तवा नदी के किनारे स्थित इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय से पानी लाने की योजना बनाई है।

खण्डवा का मुख्य जलस्रोत **भगवंत सागर** जलाशय (सुक्ता बाँध) है। ७८ एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) जल भण्डारण क्षमता वाले इस जलाशय में ४.२४ एमसीएम या १५० एमसीएफटी (मिलियन क्यूबिक फीट) पानी खण्डवा के घरेलू प्रदाय हेतु आरक्षित रखा गया है। इस पानी को सुक्ता नदी के प्राकृतिक रास्ते से गुरूत्व बल के द्वारा ४० किमी दूर स्थित जसवाड़ी बैराज में लाया जाता

1. नर्मदा जल आवर्धन योजना की विस्तृत परियोजना रपट, पृष्ठ क्रमांक –१७

है, जहाँ पर १३.६ एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट बना है। जसवाड़ी बैराज शहर से ११ किमी दूर स्थित है।

१८९७ में ४ लाख रूपए की लागत से निर्मित **नागचून तालाब** शहर से ५ किमी दूर है। इसका पानी बगैर किसी विद्युत खर्च के गुरूत्वीय बल के सहारे २.७ एमएलडी क्षमता वाले लाल चौकी फिल्टर प्लांट तक पहुँच जाता है जहाँ से नगर में प्रदाय किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके केचमेंट की भूमि में कृषि तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप नहीं है जिसके कारण इससे मिलने वाले पानी की गुणवत्ता बेहतर है।

लेकिन शहर को आवश्यक जल का बड़ा हिस्सा **भूजल** से प्राप्त होता है। निगम के १९८ मशीनीकृत बोरवेल से मिलने वाले ५.४ एमएलडी पानी को भी जलप्रदाय लाईनों से जोड़ कर वितरित किया जाता है।

उपरोक्त जलस्रोतों में से सुक्ता से जलप्रदाय वर्ष भर लगभग समान बना रहता है लेकिन, गर्मी के मौसम में भूजल और नागचून से जलप्रदाय में कमी आती है। निगम द्वारा गर्मी में ६३ लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय किया जाता है जबकि साल के अन्य महीनों में ९७.५ लीटर के हिसाब से जलप्रदाय किया जाता है। इस जलप्रदाय को नगर की आवश्यकता से कम मानते हुए निजीकृत जल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है।

जल आवर्धन का प्रयास और लागत वृद्धि

खण्डवा में नागचून के बाद पहला जल आवर्धन का प्रयास भगवंत सागर जलाशय से पानी लाकर १९८२ में किया गया। आज भी शहर की ६० प्रतिशत से अधिक आवश्यकता पूर्ति इसी स्रोत से हो रही है। वर्ष २००४–०५ में पुन: इससे मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके तहत भगवंत सागर जलाशय से जसवाड़ी फिल्टर प्लांट तक पाईप लाईन तथा जसवाड़ी फिल्टर प्लांट से शहर तक २८ इंच की एक अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने की योजना थी। इस परियोजना हेतु हुडको से १३ करोड़ रूपए के कर्ज की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन राज्य शासन द्वारा हुडको को काउंटर गारण्टी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कर्ज नहीं मिल पाया और योजना ठण्डे बस्ते में चली गई।[2] इसके बाद जल आवर्धन का जो प्रयास किया गया उससे लागत में भारी बढौत्तरी हुई।

2. श्री ताराचंद अग्रवाल, पूर्व महापौर, खण्डवा से बातचीत के आधार पर

- नवंबर २००६ में 'अतिविश्वसनीय' स्रोत से प्रचुर मात्रा में पानी प्राप्त करने हेतु कालमुखी ग्राम के निकट इंदिरा सागर की नहर से उद्‌वहन द्वारा नागचून तालाब में पानी जमा करने की योजना बनाई गई। नागचून तालाब को बेलेंसिग रिजरवायर की तरह इस्तेमाल करते हुए वहीं से जलप्रदाय करने वाली इस योजना की अनुमानित लागत ३४.३५ करोड़ रूपए थी। इसमें वर्ष २०२२ की खण्डवा की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त जलप्रदाय का दावा किया गया था।[3] वैसे नहरें तो गर्मी के दिनों में ही चलाई जाती है ताकि गैर मानसूनी मौसम में भी फसलें ली जा सकें। लेकिन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने जब आश्चर्यजनक रूप से यह बताया कि गर्मी में नहर में पानी प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो अन्य स्थान से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

- तत्कालीन निगम कमिश्नर श्री शिवनाथ झारिया और निजीकृत परियोजना के सलाहकार मेहता एण्ड एसोसिएट्स ने १७ अप्रैल २००७ को चारखेड़ा तथा सेल्दामाल के मध्य छोटी तवा के किनारे स्थित इंदिरा सागर जलाशय क्षेत्र से जल उद्‌वहन को उपयुक्त पाया। इस स्थान पर समुद्र सतह से २३९ मीटर के स्तर से पानी लिया जा सकता था। इस योजना की लागत ८३.७४ करोड़ रूपए आकलित की गई थी। जलस्रोत की शहर से दूरी ४० किमी थी।[4] इस योजना को भी खारिज कर दिया गया।

- ऊपर की योजना को खारिज करने का कारण यह दिया गया कि ग्राम रजूर से बाई ओर जलस्रोत तक पहुँच मार्ग में आरक्षित वन (लगभग ५ हेक्टर) था तथा अग्नि नदी से होकर जलस्रोत छोटी तवा तक पहुँचने हेतु एक पुल की आवश्यकता थी। इस कारण पाईप लाईन का मार्ग परिवर्तन किया गया तथा चारखेड़ा से खण्डवा–छनेरा राजमार्ग होकर ५२ किमी लम्बा रूट तय किया गया। इस मार्ग में भी ३.१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा उतने ही संसाधन लगे जितने ५ हेक्टर की मंजूरी लेने में लगते। परियोजना की लागत बढ़कर ९६.३१

3. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ - 1 एवं 2

4. परियोजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ - 15

करोड़ रूपए हो गई थी।[5]

इसी योजना को ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना'' (UIDSSMT) के तहत स्वीकृत करवाया गया। लागत और बढ़ कर १०६.७२ करोड़ रूपए हो गई जिसे १७ सितंबर २००७ को मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा स्वीकृति दी गई।[6] इसमें से १०३.६१ करोड़ रूपए (९७ प्रतिशत) परियोजना की लागत तथा शेष ३.१० करोड़ (३ प्रतिशत) परियोजना की तैयारी, कंसलटेंसी आदि आकस्मिक कार्यों के लिए खर्च की जानी है। परियोजना लागत १०३.६१ करोड़ रूपए में से ९३.२५ करोड़ रूपए केन्द्र तथा राज्य सरकारों से स्वीकृत है तथा शेष १०.३६ करोड़ रूपए की राशि नगर निगम को वहन करनी थी।

इसके बाद भी लागत बढ़ने का क्रम जारी रहा।

यूआईडीएसएसमएटी और उसके प्रभाव

नगरीय पेयजल तंत्र के पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश की जरूरत है जो अधिकांश नगरनिकायों के बूते से बाहर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शासन (केन्द्र या राज्य) द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन की व्यवस्था की जा रही है। शहरी बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के नाम से एक बड़ी केन्द्रीय योजना जारी है। इसके तहत मिलने वाली अनुदान राशि में केन्द्र और राज्य का हिस्सा क्रमशः ८० तथा १० प्रतिशत है। शेष १० प्रतिशत राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है। इसी योजना के तहत 'छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' (Urban Infrastructure Develop Scheme for Small and Medium Towns) जारी है। इसमें भी केन्द्र और राज्य से मिलने वाले अनुदान का अनुपात समान है। खण्डवा में पेयजल आवर्धन तथा तंत्र पुनर्वास UIDSSMT के तहत स्वीकृत किया गया है।

यूआईडीएसएसमएटी की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ा है। अगस्त २०१० तक पिछले ५ वर्षों में इस योजना के तहत देश में १९,९३६

5. वही, पृष्ठ - 26 एवं 27

6. वही, पृष्ठ - 76

खण्डवा नगरनिगम का जलप्रदाय पर खर्च

मद / वर्ष	2005-2006	2006-2007	2007-2008
स्थापना खर्च	75,25,372	8089023	9566194
वद्युत खर्च	14,47,784	42,42,039	35,23,502
जल शुद्धिकरण खर्च	6,83,224	7,45,259	4,53,018
मरम्मत खच	33,96,662	26,88,401	29,02,084
अन्य खर्च	1,32,12,647	1,17,76,984	1,53,83,605
कुल खर्च	**2,62,65,689**	**2,75,41,706**	**3,18,28,403**
कुल वसूली	**65,44,294** (24.92%)	**1,17,84,974** (42.79%)	**94,25,115** (29.61%)

***स्रोत**—खण्डवा नगरनिगम से प्राप्त जानकारी के आधार पर*

करोड़ रूपए की लागत वाली ९७९ परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है। इनमें से १०,४७८ करोड़ रूपए की ५२४ परियोजनाएँ पानी से संबंधित है। यदि इन परियोजनाओं में पानी से संबंधित अन्य परियोजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी जोड़ दिया जाए तो परियोजनाओं की संख्या बढ़ कर ८४३ हो जाएगी जिनकी कुल लागत १८,५०६ करोड़ रूपए होगी। इस प्रकार यूआईडीएसएसमएटी में ९३ प्रतिशत राशि पानी से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है। मध्यप्रदेश के ३३ शहरों में ७६२ करोड़ रूपए की लागत की कुल ३५ परियोजनाएँ संचालित है। इनमें से ३१ शहरों की ५८७ करोड़ रूपए की लागत वाली ३३ परियोजनाएँ पानी से संबंधित है।

यूआईडीएसएसमएटी जल क्षेत्र सुधार का एक प्रमुख हिस्सा है। इस योजना का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक—प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को आकर्षित करने योग्य बनाना है। योजना की शर्त के मुताबिक यूआईडीएसएसमएटी योजना स्वीकार करने वाली राज्य सरकारों और नगरनिकायों को ''सुधार'' का एजेण्डा स्वीकार करना होता है। सुधार का सामान्य अर्थ है सेवाओं का निजीकरण। खण्डवा नगरनिगम ने ४ दिसंबर २००८ को तत्कालीन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ''मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ'' के साथ सुधार एजेण्डे पर हस्ताक्षर किए। योजना की शर्तों में उल्लेखित सुधार दो श्रेणियों के हैं (१) आवश्यक और (२) ऐच्छिक। ऐच्छिक

निजीकृत जलप्रदाय परियोजना का
संचालन एवं संधारण खर्च

स॰क्र॰	विवरण	खर्च / वर्ष (रूपए)
a)	मानव संसाधन एवं प्रशासन	72,00,000
b)	उपभोग सामग्री	2,64,00,000
c)	कच्चा जल एवं विद्युत शुल्क	3,66,00,000
d)	बीमा	12,00,000
e)	विविध लागतें	48,00,000
कुल संचालन संधारण खर्च		**7,62,00,000**

*मात्रा एवं इकाईयाँ अंदाजन है।

***स्रोत**–विश्व इन्फ्रा द्वारा प्राईस ऑफर-II के फार्मेट नं॰-15 B,के आधार पर*

सुधारों को स्थानीय निकाय अपनी सुविधानुसार थोड़ा आगे–पीछे लागू कर सकते हैं। लेकिन, परियोजना शुरू होने के बाद ७ वर्षों की अवधि में ही सुधार संबंधी सारी शर्तें पूरी करने की बाध्यता है।

स्थानीय निकायों की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें निजीकरण का आसान बहाना मिल गया है। हालांकि निजीकरण ऐच्छिक सुधारों की श्रेणी में शमिल है लेकिन, अधिकांश नगरीय निकाय भारी भरकम सरकारी अनुदान प्राप्त करने तथा अपने हिस्से के पूँजी निवेश से बचने के लिए शुरू से ही पीपीपी का आसान विकल्प चुन रहे हैं। अगस्त २०१० तक यूआईडीएसएसमएटी का दायरा बढ़ कर देश के ६४० शहरों तक हो गया है। इनमें से ५०१ नगरनिकायों ने जन–निजी भागीदारी के विकल्प हेतु तैयारी दिखाई है जबकि ४६४ नगरनिकाय तो जन–निजी भागीदारी को स्वीकार भी कर चुके हैं। इस प्रकार सार्वजनिक धन से निर्मित परियोजनाओं को पीपीपी के बहाने कंपनियों को सौंपा जा रहा है ताकि निजी कंपनियों द्वारा अत्यल्प निवेश से अत्यधिक तथा लम्बे समय तक चाँदी काटी जा सके।

चूँकि UIDSSMT के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध है इसलिए स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। इसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों के अनुरूप योजनाएँ बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा

रहा है। इससे लागतें अनाप–शनाप बढ़ रही है। खण्डवा में भी यही सामने आया है। चूँकि इन योजनाओं में निजीकरण का विकल्प रखा गया है अत: इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा।

वित्तीय आंकलन

इस परियोजना को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत ''विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रा॰ लिमिटेड'' (आगे से इसे संक्षेप में कंपनी कहा गया है) नामक निजी कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी ने परियोजना की लागत ११५.३२ करोड़ रूपए बताई है। निगम की ओर से कंपनी को ९३.२५ करोड़ रूपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। शेष २२.०६ करोड़ रूपए कंपनी को खुद की ओर से जुटाने होंगें। कंपनी अपने हिस्से की ७५ प्रतिशत राशि बाजार से कर्ज लेगी। कंपनी ने सालाना संचालन– संधारण खर्च ७.६२ करोड़ बताया है। लेकिन, पानी की दर ११.९५ रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि कंपनी को अपना संचालन–संधारण खर्च निकालने हेतु ही कम से कम १७.४७ एमएलडी जलप्रदाय करना होगा। यह लगभग उतनी ही पानी की मात्रा है जितनी वर्तमान में नगरनिगम द्वारा प्रदाय की जा रही है। यदि कंपनी खण्डवा की वर्ष २०११ की जनसंख्या २,१८,७४४ को १३५ लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से २९.५३ एमएलडी जलप्रदाय करेगी तो शहर से १२ करोड़ ८८ लाख रूपए वसूलेगी।[7]

खण्डवा नगरनिगम का जल राजस्व वसूली का इतिहास इसके लागत वसूली में फिसड्डी होने के सबूत पेश करता है। नगरनिगम वर्ष २००७–०८ में पानी पेटे मात्र ९४ लाख २५ हजार रुपए ही वसूल पाया है जबकि इसी वित्तीय वर्ष में निगम ने जलप्रदाय व्यवस्था पर कुल ३ करोड़ १८ लाख रूपए खर्च किए थे।[8] **यानी कुल खर्च के एक तिहाई से भी कम की वसूली।**

ऐसे में सवाल उठता है कि **जो नगरनिगम जलप्रदाय की अपनी अल्प लागत ही नहीं वसूल पा रहा है तथा वर्ष १९९७–९८ से अब तक जलदरों में वृद्धि का साहस नहीं कर पा रहा है तो वह कंपनी के लिए उन्हीं नागरिकों से सालाना पौने तेरह करोड़ रुपए से अधिक राशि कैसे वसूलेगा?** यदि निगम यह राशि वसूल भी पाया तो स्थानीय जनता को

7. विश्वा इंन्फ्रा का प्राईस ऑफर- II, दिनांक 10 फरवरी 2009

8. नगर निगम, खण्डवा

पानी की कीमत: *शहर की अधिकांश जनता परियोजना के प्रभावों से अनजान है।*

कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? उल्लेखनीय है कि खण्डवा के १४,०८९ परिवार यानी कुल आबादी का ४० प्रतिशत हिस्सा झुग्गी बस्तियों में निवास करता है।

अनुबंध के अनुसार कंपनी को २ वर्षों में परियोजना का निर्माण पूरा कर अगले २३ वर्षों तक इसका संचालन करना है। अक्टूबर २०११ तक कंपनी को जलप्रदाय शुरू करना था लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती कि निर्माण कार्य समय से पूरा होगा। मीडिया रिपोर्टें और स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि कंपनी द्वारा किया जा रहा निर्माणकार्य स्तरीय नहीं है।

नगर निगम ने नल कनेक्शनों पर मीटर लगाने का विचार त्याग दिया है। अब घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनधारियों के लिए फ्लेट रेट क्रमश: १५० और ३०० रुपए/माह प्रस्तावित किया है। गरीबों से १०० प्रतिमाह वसूला जाएगा। हालांकि औद्योगिक कनेक्शनों हेतु २४०० रुपए/माह की दरें प्रस्तावित की है लेकिन इससे वसूली दर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो, खण्डवा में औद्योगिक कनेक्शनों की संख्या उपेक्षणीय है और दूसरे, औद्योगिक जलापूर्ति नागचून से करने की योजना है जो कंपनी का काम नहीं होगा। रेल्वे एक बड़ा व्यावसायिक उपभोक्ता है लेकिन उसकी अपनी खुद की जलप्रदाय योजना और शुद्धिकरण तंत्र है।[9]

यदि निगम द्वारा प्रस्तावित दरों से वर्तमान कनेक्शनों से शतप्रतिशत वसूली की जाये तब भी निगम को सालाना २ करोड़ ९७ लाख रुपयों की ही आय

9. तापी प्रिस्ट्रेस्ड प्राडक्ट्स लिमिटेड का पत्र दिनांक 14 जून 2008

वर्तमान नल कनेक्शन एवं उनसे वसूली की संभावना

कनेक्शन का प्रकार	कुल संख्या	प्रस्तावित मासिक दरें	वार्षिक वसूली (रूपए)
घरेलू	15664	150	2,81,95,200
व्यावसायिक	259	300	9,32,400
औद्योगिक	20	2400	5,76,000
योग	**15,943**	---	**2,97,03,600**

होगी।[10] यदि मान लिया जाए कि खण्डवा नगरनिगम की सीमा में स्थित सारी संपत्तियों (चाहे उनके स्वामी अनुमति दे चाहे न दे) और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नल कनेक्शन[11] दे दिए जाए और उनसे शतप्रतिशत वसूली की जाए तो भी उनसे ६ करोड़ ८० लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं वूसला जा सकता। हालांकि यह असंभव सा काम है लेकिन यदि इसे संभव कर दिखाया तो भी कंपनी के पानी के बिल की पूर्ति नहीं होगी। कंपनी के वास्तविक बिल और वसूली में भारी अंतर होगा और अनुबंध[12] की शर्तों के तहत करोड़ों रूपए की अंतर राशि सब्सिडी के रूप में कंपनी को चुकानी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि **वर्ष २००९–१० में मात्र १४ करोड़ के सालाना बजट वाले नगरनिगम के पास कंपनी को चुकाने के लिए करोड़ों रूपया हर साल आएगा कहाँ से?**

भगवंत सागर से २८ पैसे प्रति किलो लीटर में मिलने वाले पानी की रायल्टी भी निगम चुका नहीं पा रहा है। वर्ष २००२–०३ तक बकाया राशि का शासन स्तर पर समायोजन किया गया। लेकिन इसके बाद भी निगम पानी की रॉयल्टी नहीं चुका पाया। १ अप्रैल २००८ को जल संसाधन विभाग के निगम पर पानी की रॉयल्टी पेटे ८१.५२ लाख रूपए फिर से बकाया थे।

निजी कंपनी को परियोजना सौंपने का प्रमुख कारण ही यह रहा है कि जलप्रदाय व्यवस्था पर खर्च की जाने वाली राशि को निगम वसूल नहीं पा रहा है और दूसरे मदों का पैसा इसमें खर्च हो जाता है जिससे शहर का विकास

10. वर्तमान में 15,664 घरेलू, 259 व्यावसायिक और 20 औद्योगिक कनेक्शन है।
11. यदि सबको पृथक कनेक्शन दिए जाएं तो खण्डवा में 23,510 घरेलू, 14,089 लाईफलाईन और 2,427 व्यावसायिक कनेक्शनों की संभावना है।
12. विश्वा कंपनी का प्राईस ऑफर-II, दिनांक 10 फरवरी 2009

पानी के बदले निजी कंपनी को किया जाने वाला भुगतान

वर्ष	जनसंख्या	माँग @ 135 lpcd (एमएलडी)	प्रस्तावित दरें प्रति/किली (रूपए)	कंपनी को भुगतान (लाख रूपए)
2011	218744	29.53	11.95	1288.04
2012	222172	29.99	11.95	1308.22
2013	225659	30.46	13.15	1461.63
2014	229206	30.94	13.15	1485.17
2015	232815	31.43	14.47	1508.56
2016	236485	31.93	14.47	1686.15

Note

1. विश्व इन्फ्रा ने प्राईस ऑफर-II में एक संक्षिप्त नोट में कहा है कि वह ४ वर्ष बाद ३० एमएलडी जलप्रदाय तब शुरू करेगी जब तक सारे कनेक्शन हो जाएँगें तथा वितरण लाईनों तथा तंत्र पुनर्वास का काम भी पूरा हो जाएगा।
2. विश्वा इन्फ्रा ने प्राईस ऑफर-II में सालाना संचालन–संधारण खर्च ७ करोड़ ६२ लाख तथा शहर से सालाना जल राजस्व ७ करोड़ ७० लाख रूपए का आंकलन किया है। ११.९५ रूपए/किलोलीटर के हिसाब से ७ करोड़ ६२ लाख में साल भर तक १७.४७ एमएलडी पानी ही प्रदाय किया जा सकता है। पानी की यह मात्रा उतनी ही है जितनी वर्तमान में नगरनिगम द्वारा प्रदाय की जा रही है। संभव है कि जब तक पूरी वसूली का इंतजाम न हो जाए कंपनी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शहर की जरूरत का जलप्रदाय नहीं करेगी।
3. हर तीसरे साल कंपनी पानी की दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि करेगी। तालिका में दरें इसी आधार पर दी गई है।

***स्रोत**–विस्तृत परियोजना रपट तथा विश्वा इन्फ्रा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदा प्रपत्र*

प्रभावित होता है। लेकिन परियोजना निजी कंपनी को सौंपने के बाद भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि निगम को जलप्रदाय के मद में पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। चूँकि निगम के पास इस राशि की वसूली की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है इसलिए उसे अन्य मदों की और अधिक राशि पानी के लिए खर्च करनी पड़ेगी और शहर का विकास पहल से अधिक प्रभावित होगा। निजी कंपनी को जलप्रदाय व्यवस्था सौंपने की कीमत पूरा शहर कई रूपों में दशकों तक चुकाएगा।

काम की प्रगति: *निर्माण कार्य समय से पूरा हो पाएगा इसकी संभावना कम है।*

निजीकरण के प्रभाव

सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से भरे समाज में जलप्रदाय परियोजनाओ के निजी हाथों में चले जाने के बहुआयामी एवं दूरगामी परिणाम होंगें। जलप्रदाय व्यवस्था का संचालन कल्याणकारी कर्तव्य के बजाय बाजारी जिन्स की तरह होगा। ऐसा करते समय समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति जवाबदेही को सिरे नकार दिया जाना है। सार्वजनिक नलों को बंद करना होगा जिसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। नगर में ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं होने दी जाएगी जिससे लोग कंपनी के अलावा अन्य स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकें।[13] कंपनी से अनुबंध के पूर्व से जारी हेण्डपम्पों को पुन: चालू करने से रोकने का भी कंपनी को अधिकार होगा।

24x7 जलप्रदाय की पोल खुली

परियोजना की शुरूआत में चौबीस घण्टे जलप्रदाय का सब्जबाग दिखाया गया था लेकिन इसके लिए आर्थिक लागत की अधिकता तथा टेण्डर भरने वाली कंपनियों द्वारा इसे करने में असमर्थता के कारण निगम को अनुबंध के पाँचवे संशोधन में 24x7 के बजाय ६ घण्टे के जलप्रदाय को स्वीकार करना पड़ा है। चौबीसों घण्टे जलप्रदाय को अशोका बिल्डकॉन कंपनी ने अनावश्यक बताया था। यूनिटी इंफ्रा ने जल दरों में ६–७ गुना वृद्धि की आशंका जताते हुए इस परियोजना को अव्यावहारिक बताया था। जसको कंपनी भी संचालन/संधारण खर्च बढ़ने के कारण 24x7 जलप्रदाय के लिए तैयार नहीं हुई।

13. अनुबंध की No Parallel Competing Facility संबंधी धारा

प्रतियोगी सुविधा का विरोध

कंपनी से किए गए अनुबंध की ११ वी धारा के रूप में No Parallel Competing Facility यानी 'कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं' नाम की एक धारा उल्लेख किया गया है। इस धारा को बड़ी चतुराई से अस्पष्ट रूप से लिखा गया है। अनुबंध दस्तावेज में न तो इस वाक्यांश की परिभाषा दी गई है और न ही इसमें उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या की गई है। इसके विपरीत अन्य सभी धाराओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस धारा के माध्यम से खण्डवा के नागरिकों को पानी के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

'कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं' धारा के तहत कंपनी से अनुबंध के बाद नगरनिगम की सीमा में ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी जिससे कंपनी के काम (पेयजल प्रदाय) के समानांतर प्रतियोगी गतिविधि संचालित हो। यदि कोई व्यक्ति या समूह शहर में जलप्रदाय करता है तो इससे निजी कंपनी के हित प्रभावित होंगें। इसका अर्थ है कि न तो नगर की जनता और न ही नगरनिगम स्वयं अगले २३ वर्षों के लिए पानी प्राप्त करने की कोई युक्ति निर्मित/संचालित कर पाएँगें। केवल इतना ही नहीं अनुबंध के पूर्व से संचालित तंत्रों की क्षमता भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

नागरिकों द्वारा अपने घरों में लगे ट्यूबवेलों की न तो क्षमता बढ़ाई जा सकेंगी और न ही नए ट्यूबवेल खोदे जा सकेंगें। जिन हेण्डपम्पों में गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जायेगा वहाँ अतिरिक्त पाईप (आवर्धन) भी नहीं लगाए जा सकेंगें।

आपातकालीन परिस्थिति

अनुबंध की No Parallel Competing Facility संबंधी धारा के कारण नगरनिगम को सारे सार्वजनिक नल समाप्त करने पड़ेंगें। वर्तमान जलस्रोतों की क्षमता वृद्धि और नए स्रोत निर्माण पर पाबंदी होगी। साथ ही टेंकर से जलप्रदाय भी संभव नहीं होगा। संक्षेप में अनुबंध की इस शर्त का प्रभाव यह होगा कि आगामी कुछ वर्षों में सारे वैकल्पिक जलस्रोत बंद कर दिए जायेंगें और अन्य स्रोतों से जल वितरण बंद करवा दिया जाएगा।

इसके विपरीत नल कनेक्शनधारियों के साथ किए जाने वाले अनुबंध में यह लिखवा लिया जाएगा कि कंपनी द्वारा जलप्रदाय नहीं कर पाने की स्थिति में नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लेगा। लेकिन यदि प्राकृतिक आपदा

या अन्य तकनीकी कारणों से कंपनी का जलप्रदाय बाधित होता है तो लोग पानी लाएँगें कहाँ से?

कर्मचारियों की छँटनी

खण्डवा में १७३३ सार्वजनिक नल कनेक्शनों सहित १७,६७६ नल कनेक्शन है। प्रति हजार कनेक्शन पर १० के हिसाब से करीब १७५ कर्मचारी है। पेयजल व्यवस्था के निजी हाथों में जाने के कारण इन कर्मचारियों की छँटनी करनी होगी।

यूआईडीएसएसमएटी हेतु आवेदन करने के पूर्व स्थानीय निकायों को रिफार्म एजेंण्डा स्वीकार करना होता है। खण्डवा नगरनिगम ने ४ दिसंबर २००७ को तत्कालीन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ***'मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ'*** के साथ किए गए अनुबंध (मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट) में रिफार्म एजेण्डे को स्वीकार किया है जिसमें प्रशासनिक सुधार के नाम पर जलप्रदाय से जुड़े कर्मचारियों को स्वैच्छिक (अनिवार्य) सेवा निवृति देने और सेवानिवृति से रिक्त हुए पदों को नहीं भरने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के अनुसार परियोजना शुरू होने के तीसरे वर्ष से कर्मचारियों की सेवानिवृति शुरू करनी होगी। मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट के बिन्दु क्रमांक १२ के अनुसार नगरनिगम द्वारा अनुबंध ा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को परियोजना राशि की किश्त रोकने का अधिकार होगा।

नगर निगम भी अपने प्रस्ताव दिनांक ३१ मार्च २००८ में स्वीकार कर चुका है कि जलप्रदाय से संबंधित अमला नर्मदा परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षित नहीं है। अत: इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि कंपनी इन 'अप्रशिक्षित' कर्मचारियों को नौकरी दें। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की छँटनी अब नगरनिगम की बाध्यता बन गई है।

अनुबंध की कण्डिका ७.५ में मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में १० उप कण्डिकाओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है। लेकिन, इसमें से किसी भी उपकण्डिका में नगरनिगम के जलप्रदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जबकि, निगम चाहता तो निजी कंपनी में इन कर्मचारियों की नौकरी का प्रावधान कर सकता था।

अनुभव बताते हैं कि निजी कंपनियाँ स्थानीय कर्मचारियों को पसंद नहीं

संकेत: *कहीं यह खण्डवा के पेयजल का भविष्य तो नहीं?*

करती है। नागपुर (महाराष्ट्र) के धरमपेठ झोन में जलप्रदाय का ठेका जन–निजी भागीदारी के तहत फ्रांस की 'विओलिया' द्वारा नियंत्रित कंपनी को दिया गया है। वहाँ कंपनी द्वारा सुधारी गई भूमिगत पाईप लाईनों तथा मीटर लगाने जैसे कार्यों में स्थानीय कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं रही। यहाँ तक कि कंपनी ने नगरनिगम के कार्यों से जुड़े रहे स्थानीय कुशल/अकुशल मजदूरों तथा प्लंबरों तक को कोई काम नहीं दिया।

कंपनी का हित संरक्षण

अनुबंध में निगम ने कंपनी के हितों का तो खूब ध्यान रखा लेकिन कर्मचारियों की तरह नगर की जनता के हितों की अनदेखी होने दी। निगम द्वारा निजीकरण के पक्ष में चौबीसों घण्टे जलप्रदाय, पूरी तरह भरोसेमंद तंत्र, भरपूर पानी उपलब्धता वाली सस्ती जलप्रदाय व्यवस्था का दावा किया गया था लेकिन कंपनी को फायदा पहुँचाने हेतु 24x7 जलप्रदाय की शर्त को पिछले दरवाजे से बदल दिया गया।

कंपनी द्वारा जलप्रदाय शुरू करने के बाद नगर निगम जल कनेक्शनधारियों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएगा। इस अनुबंध में सेवा बेहतर करने का तो कोई आश्वासन नहीं है लेकिन सेवा में कमी पर नागरिक कंपनी की शिकायत न कर पाए इसका जरूर प्रावधान कर दिया गया है। नल कनेक्शनधारियों से वचन लिया जाएगा कि वे पानी के कम दबाव, जलप्रदाय का समय और उपलब्ध करवाई जा रही पानी की मात्रा के संबंध में कंपनी की कोई शिकायत नहीं करेंगें।

बिल राशि पर विवाद होने पर भी नागरिकों को कंपनी द्वारा जारी बिल का भुगतान करना होगा। शिकायत सही पाए जाने पर निराकरण के बाद भुगतान की गई राशि अगले बिलों में समायोजित की जा सकेगी। इसके साथ ही अनुबंध में नागरिकों से यह भी लिखवा लिया जाएगा कि यदि कारणवश कंपनी जलप्रदाय नही कर पाए तो नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लेंगें।

२ माह बिल नहीं भरने पर कंपनी कनेक्शन काट देगी। फिर से सेवा शुरू करवाने हेतु नागरिकों को बकाया बिल राशि के साथ नए कनेक्शन का शुल्क भी देना होगा।[14]

यदि कंपनी अनुबंध में उल्लेखित हर रोज ६ घण्टा जलप्रदाय नहीं कर पाई तो भी उसके खिलाफ सेवा में कमी का मामला नहीं बन पाएगा क्योंकि संबंधित धारा में ''यथासंभव'' जोड़ कर कंपनी को जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया है।[15]

कनेक्शन शुल्क तो ३०० ही रखा गया है लेकिन इसके साथ मैन लाईन से घर तक का कंपनी द्वारा निर्धारित ब्राण्ड तथा मटेरियल के पाईप, फेरूल, मीटर, अन्य कनेक्शन सामग्री, रोड़ खुदाई और प्लंबर का खर्च कनेक्शनधारियों को उठाना पड़ेगा। नागपुर में विओलिया कंपनी द्वारा किए जा रहे कनेक्शन का खर्च करीब १२ हजार रूपए प्रति कनेक्शन है।

किसी व्यक्ति के डिफाल्टर होने पर भी कंपनी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उस व्यक्ति पर बकाया राशि में से आधी राशि का भुगतान कंपनी को तुरंत कर दिया जाएगा तथा शेष भुगतान संबंधित व्यक्ति से प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

जलदर पुनरीक्षण

जल दर पुनरीक्षण समिति में निगम के लेखापाल, ऑडिटर, इंजीनियर और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगें। जल दरें प्रत्येक ३ वर्ष में १० प्रतिशत की दर से बढ़ाई जानी है। लेकिन जब कभी कंपनी जलदरें बढ़ाने का निवेदन करे तो यही समिति उसके बारे में निर्णय लेगी।[16] ३ वर्ष में १० प्रतिशत की जलदर

14. खण्डवा जल आवर्धन परियोजना अनुबंध, दिनांक 3 अक्टूबर 2009 की धारा 9.1.6(i) & (ii) (Page-48)
15. निविदाकर्ताओं के लिए सूचनाएँ-I (संशोधन), भाग-V, [(2.2.2 (ii)], पृष्ठ-198
16. परियोजना अनुबंध का शिड्यूल-K, Vol. - I, पृष्ठ 47

वृद्धि काफी कम लगती है। इसलिए संभावना है कि कंपनी इस प्रावधान के बावजूद समय–समय पर माँग कर जलदरों में वृद्धि करवा लेगी। चूँकि इस समिति में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा नागरिक समाज का प्रतिनिधि शामिल नहीं है इसलिए कंपनी के लिए मनमानी दरें तय करवाना आसान होगा।

परियोजना पर प्रश्नचिन्ह

निजी निवेश के समय परियोजना के वित्तीय स्वावलंबन पर बल दिया जाता है। लेकिन इस परियोजना की वित्तीय स्वावलंबन पर टेण्डर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संभवत: इसी कारण से अधिकांश कंपनियों ने टेण्डर प्रस्तुत ही नहीं किए।

परियोजना के टेण्डर १९ कंपनियों ने खरीदे थे, प्रि–बिड मीटिंग में १२ कंपनियाँ शामिल हुई लेकिन टेण्डर प्रस्तुत करने केवल ४ कंपनियाँ ही सामने आई। ३ कंपनियों ने टेण्डर प्रक्रिया में रूचि नहीं लेने का कारण परियोजना का आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होना बताया गया।

- अशोका बिल्डकॉन ने परियोजना के आर्थिक स्वावलंबी होने पर सवाल उठाते हुए परियोजना लागत तथा संचालन/संधारण खर्च कम करने हेतु वर्तमान स्रोत जसवाड़ी (सुक्ता) प्लांट और नागचून का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। कंपनी ने 24x7 जलप्रदाय के विचार को भी खारिज कर दिया था क्योंकि इससे बिजली का खर्च काफी बढ़ जाता।[17] विश्वा कंपनी द्वारा प्रस्तुत संचालन–संधारण खर्च का आधा हिस्सा विद्युत खर्च है।
- जसको ने परियोजना को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य बताते हुए कहा था कि सामाजिक और राजनैतिक कारणों से पानी के दाम इतने नहीं बढ़ाए जा सकते कि उससे पूरी लागत निकाल ली जाए। ऐसी स्थिति में निगम को पूर्ण भुगतान की गारण्टी लेनी चाहिए।[18] क्योंकि निजी कंपनी यह जोखिम नहीं उठा सकती।
- यूनिटी इन्फ्रा ने खण्डवा में पानी की कम माँग और लम्बे परिवहन के कारण संचालन/संधारण खर्च अधिक होने से परियोजना को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक बताया था। कंपनी के अनुसार इससे पानी की

17. अशोका बिल्डकॉन का पत्र दिनांक 22 अगस्त 2008

18. जसको का पत्र दिनांक 23 जून 2008

दरें वर्तमान की अपेक्षा ६–७ गुना बढ़ जायेगी, जिसके लोग आदी नहीं हैं। इसके हल के रूप में कंपनी ने गारण्टी की माँग की थी।[19]

खण्डवा की पेयजल परियोजना निर्माण हेतु ९० प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने के बाद भी कुछ निजी कंपनियों ने इसे अव्यावहारिक माना है। जलक्षेत्र की अनुभवी कंपनियों के निष्कर्षों के बावजूद जानबूझ कर निहित कारणों से इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। हर प्रकार से कोशिश करने (निविदा प्रपत्रों में संशोधनों) के बाद भी जब परियोजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं नहीं बनाई जा सकी तो अव्यवहार्य परियोजना को ही आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया जिसका परिणाम नगर की एक पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। परियोजना अनुबंध के कारण निगम का खजाना पूरे २३ सालों के लिए निजी कंपनी के लिए खोल दिया गया है।

खण्डवा नगर निगम की वित्तीय वर्ष २००९–१० में निगम की समस्त राजस्व आय मात्र १०.१४ करोड़ आँकी गई है। ऐसी स्थिति में चूँगी क्षतिपूर्ति तथा अन्य मदों के तहत शासन से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन कंपनी के खाते में करना पड़ेगा और पैसे के अभाव में नगर का विकास अवरूद्ध हो जायेगा। संक्षेप में आम जनता को आसानी से पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर बनाई जा रही परियोजना से पानी के सर्वसुलभ होने पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। ❑

19. यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र, दिनांक 30 सितंबर 2008

मंथन अध्ययन केन्द्र

संसाधनों के उपयोग एवं विकास गतिविधियों ने सामाजिक न्याय, समानता, पर्यावरण सुरक्षा, मानव अधिकार आदि से जुड़े मुद्दों पर उग्र बहस एवं तीव्र संघर्ष खड़े किए हैं। इससे मौजूदा विकास के मॉडल की उपयोगिता पर गंभीर चिन्ताएँ पैदा हुई है। पिछले वर्षो में वैश्विक तथा राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय ढाँचों में बड़े पैमाने पर किये गये बदलावों ने इन चिन्ताओं को और भी प्रासंगिक बनाया है।

जो लोग सार्वजनिक नीतियों से जुड़े कार्य कर रहे हैं उन्हें इन बदलावों को समानता, मानव अधिकार, पर्यावरण आदि की चिन्ताओं के साथ पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक अधिकांश जानकारियों के स्त्रोत एवं उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों या निजी संगठनों के पास है। जनहित के लिये प्रतिबद्ध ऐसे स्वतंत्र संगठन बेहद जरूरी जो उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध एवं विश्लेषण कर सके। **मंथन** की स्थापना इसी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है।

भाखड़ा–नंगल बाँध का विस्तृत मूल्यांकन, विश्व बैंक के ज्ञानदाता की भूमिका का विश्लेषण और जन–निजी भागीदारी के प्रभावों का अध्ययन आदि इसके अभी तक के प्रमुख कार्य है। साथ ही जल क्षेत्र में व्यावसायीकरण व निजीकरण संबंधी पड़ताल भी सतत जारी है।